न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–133/2011–12

श्री पिरथी सिंह आदि

–बनाम–

भूमि प्रबन्धक समिति आदि

उपस्थितिः श्री विनोद चन्द्र रावत, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री दिनेश प्रकाश त्यागी।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री राजवीर सिंह, सहा0जिला शासकीय अधिवक्ता(रा0)

बावत

मौजा शेखपुरी, परगना मंगलौर,
तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निगरानी संख्या–12/97 पिरथी व अन्य बनाम भूमि प्रबन्धक समिति शेखपुरी व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 27–11–97 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि प्रबन्धक समिति शेखपुरी द्वारा प्रस्ताव दिनांक 24–03–93 इस आशय का पारित किया गया कि खसरा संख्या–57म क्षेत्रफल 0.369 है0 स्थित ग्राम शेखपुरी मौके पर बंजर है किन्तु अभिलेख में सड़क दर्ज है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा इस बंजर दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तहसीलदार की जांच आख्या के आधार पर परगनाधिकारी, लक्सर ने अपने आदेश दिनांक 30–03–93 से तहसील आख्या को स्वीकार करते हुए भू–अभिलेखों में संशोधन कर इस भूमि को बंजर दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता पिरथी सिंह द्वारा दिनांक 28–04–94 को इस आशय का प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि को बंजर दर्ज करने का जो आदेश पारित किया गया है वह सही नहीं है और इस भूमि को पूर्व की भांति गोहर रखा जाय। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के उपरान्त उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उक्त आदेश दिनांक 30–03–93 को पारित किया गया था जिसका अमलदरामद भी हो चुका है। यह भूमि ग्रामसभा की भूमि है तथा प्रार्थीगण का नाम इस पर अंकित नहीं है, अतः उनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इतने विलम्ब से यह प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं है। उप जिलाधिकारी, लक्सर ने अपने आदेश दिनांक 18–12–95 से प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–95 के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने अपर आयुक्त, मेठर के समक्ष निगरानी योजित की गई जो निर्णयादेश दिनांक 15–04–96 से निरस्त की गई जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागण ने राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष निगरानी संख्या–59 वर्ष 98–99 प्रीति बनाम एल0एम0सी0 योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 06–12–2001 से निरस्त हुई। राजस्व परिषद के निर्णयादेश दिनांक 06–12–2001 के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका योजित की गई जो मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 13–10–2004 से निर्णीत होकर इस न्यायालय को निस्तारण हेतु

प्रतिप्रेषित की गई। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13–10–2004 के अनुपालन में यह निगरानी सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की भूमि खसरा न0 57 ग्राम सभा की भूमि थी जिसे भूमि प्रबन्धक समिति, शेखपुरी द्वारा प्रस्ताव पारित कर इस भूमि को बंजर दर्ज करने हेतु उप जिलाधिकारी, लक्सर को प्रस्ताव अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूमि को वर्तमान में फायर स्टेशन हेतु आवंटित किया गया है लेकिन इस भूमि से लगे खसरा संख्या–58 के भू–स्वामियों द्वारा यह आपत्ति की की गयी कि चकबन्दी के दौरान खसरा संख्या–58 के उत्तर की ओर खसरा संख्या–57 में जो रास्ता/चक रोड दिया गया था उसे भी बंजर की श्रेणी में अंकित कर दिया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि खसरा संख्या–57 में फायर स्टेशन का निर्माण किया जाय लेकिन खसरा संख्या–58 के भू–स्वामियों हेतु जो रास्ता चकबन्दी में दिया गया है उसे यथावत् रखा जाय। यपि परगनाधिकारी द्वारा जो भूमि की श्रेणी परिवर्तित की गयी है वह विधितः सही नहीं है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :–

आदेश

मौजा शेखपुरी परगना मंगलौर तहसील लक्सर के खसरा संख्या–58 के उत्तर की ओर खसरा संख्या–57 म0 25 फिट चौड़ा एवं खसरा संख्या–58 के समान लम्बाई जिसकी पैमाईश संबंधित राजस्व कर्मियों द्वारा की जायेगी, के समान रास्ते को बंजर की श्रेणी से सड़क में दर्ज किया जाय और तद्नुसार सजरे में भी इसका अंकन किया जाय तथा शेष भूमि जो फायर स्टेशन के लिए आवंटित की गयी है उसे संबंधित विभाग अपने उपयोग में लाने हेतु स्वतंत्र है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित की जाय। उपरोक्तानुसार निगरानी निस्तारित की जाती है।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 18/3/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य(न्यायिक)।